न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 8/2018, जिला दौसा

1. कमल चन्द पुत्र रामेश्वर
2. विमल चन्द पुत्र रामेश्वर
3. बोदन लाल
4. लक्ष्मण
5. मनसुख
6. हरिराम
7. दिनेश पुत्रान स्व. रामकिशोर
8. शांति पुत्री स्व. रामकिशोर
9. शांति पुत्री स्व. रामकिशोर

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम हींगी, तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. अर्जुन
2. भीम पुत्रान हरफूल

जाति मीणा, निवासी ग्राम हींगी, तहसील सिकराय, जिला दौसा, राजस्थान।

—रेस्पोंडेन्ट्स

3. रामस्वरूप पुत्र चंदा, जाति कुम्हार निवासी ठिकरिया, तहसील सिकराय जिला दौसा, राजस्थान।
4. सियाराम पुत्र हरलाल, जाति मीना, निवासी ग्राम हींगी तहसील सिकराय, जिला दौसा, राजस्थान
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील सिकराय, जिला दौसा, राजस्थान।

— प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट्स

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.05.2016 बअदालत अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा द्वारा अपील संख्या 45/2013 बउनवानी भवानी अर्जुन व अन्य बनाम रामस्वरूप वगैरह में पारित किया गया जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 13 दिनांक 28.09.1960 खारिज किया गया।

उपस्थित—

1. वकील अपीलान्ट सी.पी. बलाई
2. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 श्री प्रकाश चन्द भारती
3. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 3 व 4 श्री नन्दलाल
4. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 5 श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक —14.6.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 27.05.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 13 दिनांक 28.09.1960 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार सिकराय को रिमाण्ड किया गया है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है:—

यह कि ग्राम हींगी तहसील सिकराय जिला दौसा में खसरा नम्बर 67, 68, 69, 70, 76, 77, 773, 783, 862, 971, 986 स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पूर्वज हरफूल पुत्र तुलस्या मीणा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 रामस्वरूप के पिता चंदा ने पटवारी हल्का से साजिश खसरा गिरदावरी संवत 2012—16 के आधार पर अवैधानिक तरीके से अपने नाम नामान्तरकरण संख्या 13 दिनांक 28.09.1960 तस्दीक करवा लिया। इस प्रकार अपील के साथ प्रार्थना

Scanned by CamScanner

पत्र धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने सम्मन जारी किए और दिनांक 18.05.2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनते हुए दिनांक 27.05.2016 का अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम हींगी तहसील सिकराय जिला दौसा में खसरा नम्बर 67, 68, 69, 70, 76, 77, 773, 783, 862, 971, 986 स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पूर्वज हरफूल पुत्र तुलस्या मीणा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 रामस्वरूप के पिता चंदा ने पटवारी हल्का से साजिश खसरा गिरदावरी संवत 2012–16 के आधार पर अवैधानिक तरीके से अपने नाम नामान्तरकरण संख्या 13 दिनांक 28.09. 1960 तस्दीक करवा लिया। इस प्रकार अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने सम्मन जारी किए और दिनांक 18.05.2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनते हुए दिनांक 27.05.2016 का अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.05.2016 विधि–विधान, न्याय एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने की वजह से खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट संख्या 1 व 2 की सही तामील नहीं कराई और ना ही उसे कोई सुनवाई का अवसर ही दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में रामकिशोर पुत्र मोहनलाल की मृत्यु दिनांक 15.5.2015 को हो गई थी। इसकी जानकारी भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को भली प्रकर थी, परन्तु इसकी जानकारी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष छुपाते हुए मृतक व्यक्तियों के खिलाफ जो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रसारित कराया गया खिलाफ सबूत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि मृतक व्यक्ति के पक्ष में या मृत व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कानूनी आदेश निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। नामान्तरकरण संख्या 13 दिनांक 28.09.1960 को किया गया था। तकरीबन 53 वर्ष पश्चात उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध बिना किसी युक्ति युक्त कारणों के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वह सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए निर्णय पारित करता परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने संपूर्ण निर्णय में कहीं भी कोई फाइंडिंग नहीं दी कि किस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 उक्त नामान्तरकरण से व्यथित है तथा अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के वास्तविक कब्जे बाबत ना तो कोई साक्ष्य ली गई और ना ही हल्का पटवारी से इस बाबत कोई रिपोर्ट तलब की गई। वादग्रस्त भूमि पर खरीद के समय से ही काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। इस कारण भी बिना कब्जे के आधार पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है वह निरस्त किए जाने योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार दिए जाने की व्यवस्था दी गई है औरा धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान 28.09.1960 के समय शून्य ना होकर अवैधानिक थे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता हरफूल द्वारा किसी प्रकार का कोई एतराज सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट हो जाता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता हरफूल को नामान्तरकरण की जानकारी प्रारंभ से ही थी और कब्जा भी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 रामस्वरूप के पिता चंदा के पास है की जानकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बिन्दु पर कोई निर्णय कहीं पूरे निर्णय में नहीं किया। नामान्तरकरण संख्या 13 दिनांक 28.09.1960 में वर्णित भूमि पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का कब्जा काश्त है। अपीलाधीन आदेश किसी भी सूरत में स्पीकिंग ऑर्डर की तारीख में नहीं आता। दिनांक 28.12.2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 विवादित भूमि पर आए तथा बताया कि इस नामान्तरकरण ए.डी.एम. साहब से खारिज करवा दिया है तब जाकर अपीलांट को जानकारी हुई। जिस पर अविलम्ब नकल प्राप्त कर यह अपील पेश की गई है। साथ में लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 13 दिनांक 28.09.1960 को बहाल रखा जाए तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.05.2016 को निरस्त किया जाए।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

रेस्पोडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश कर कथन किया कि द्वितीय अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के आदेश दिनांक 27.05.2016 के विरूद्ध पेश की है जो मियाद बाहर है एवं गलत तथ्यों के आधार पर पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.05.2016 के तहत नामान्तरकरण संख्या 13 दिनांक 28.09.1960 ग्राम हींगी तहसील सिकराय के विरूद्ध पेश की गई थी। कृषि भूमि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति नाम से दर्ज थी इसलिये कानूनन अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि जनरल जाति के नाम नहीं की जा सकती। तहसीलदार द्वारा अवैध तरीके से नामान्तरकरण तस्दीक किया गया था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त करते हुये तहसीलदार को इस आशय से रिमांड किया कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर एंव विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया जाकर विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करें। विवादित कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता हरफूल पुत्र तुलस्या जाति मीणा निवासी हींगी के नाम से पूर्वजों का शुरू से ही चला आ रहा है। उसके बावजूद भी तहसीलदार सिकराय द्वारा धारा 19 टीनेन्सी एक्ट का हवाला देते हुए चन्दा के नाम खातेदारी दर्ज कर दी जो गलत व अवैध थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पूर्वज हरफूल जी सेना में कार्यरत थे इसलिये गांव में कम आना जाना रहता था तथा देश की सेवा में बाहर कार्यरत थे। जिसका नाजायज फायदा उठा कर गलत तरीके से गिरदावरी दर्ज करवा कर धारा 19 टीनेन्सी एक्ट के तहत तहसीलदार से सांठगांठ करके खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा ली। जबकि खातेदार का नाम रिकॉर्ड में दर्ज होने के नाम बिना न्यायालय आदेश के खातेदारी अधिकार खत्म नहीं किए जा सकते। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल रिमांड किया गया है। जिसमें तहसीलदार के समक्ष दोनों पक्षों को अपने साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किया है, इसलिये अपीलांट किसी प्रकार की आपत्ति या सबूत पेश करने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार अपील अवैधानिक तरीके से पेश की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार सिकराय द्वारा 1960 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के विरूद्ध जाकर नामान्तरकरण खोला जबकि नियमानुसार अनुसूचित जनजाति की भूमि गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के नाम हस्तान्तरण नहीं की जा सकती है परन्तु उक्त प्रावधान की अनदेखी करते हुए विवादित नामान्तरकरण खोला गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा द्वारा प्रकरण को तहसीलदार सिकराय को रिमांड किया गया है। जिसमें वह सभी पक्षों को सुनकर तथा कानूनी प्रावधानों के अनुसार उन्हें नामान्तरकरण पर विचार करने का निर्देश दिया गया है जो किसी भी तरीके से विधि विरूद्ध नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.05.2016 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 27.05.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner